



Department of Financial Services
Ministry of Finance
Government of India



बैंक ऑफ़ इंडिया
रिशतों की जमापूँजी

चलती रहे ज़िन्दगी

अटल पेंशन योजना के साथ ट्रिपल गारंटीकृत लाभ

01

आजीवन गारंटीकृत
न्यूनतम
मासिक पेंशन
(₹ 1000 से
₹ 5000 तक)

02

सब्सक्राइबर की
मृत्यु के बाद
पत्नी या पति को
आजीवन पेंशन की
उतनी ही राशि

03

सब्सक्राइबर और पति या
पत्नी की मृत्यु के बाद
नॉमिनी को मिलेगा
₹ 1.70 लाख से
₹ 8.50 लाख

उद्देश्य:

एपीवाई असंगठित क्षेत्र के कामगारों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। इस स्कीम में 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सब्सक्राइबर द्वारा किए गए अंशदान के अनुसार ₹ 1,000/2,000/3,000/4,000/5,000 प्रति माह का गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन मिलता है।

अटल पेंशन योजना के ब्यौरे

- कार्यान्वयन एजेंसी – पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)
अंशदान का तरीका: सब्सक्राइबर के बचत बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से मासिक/तिमाही/छमाही अंतराल।
- केंद्र सरकार की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन राशि ₹ 1000 से ₹ 5000 प्रति माह।
- पात्र ग्राहक – 18 वर्ष से 40 वर्ष के आयु समूह के सभी खाताधारक।

- ट्रिपल लाभ के साथ पेंशन
 - ₹ 60 वर्ष के बाद पेंशन शुरू होगा तथा आजीवन प्राप्त होगा।
 - सब्सक्राइबर की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, पति या पत्नी को पेंशन मिलेगी।
 - सब्सक्राइबर और पति या पत्नी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में—नॉमिनी को मूल राशि मिलेगी।
- पेंशन के अपग्रेडेशन/डाउन ग्रेडेशन और भुगतान के तरीके में परिवर्तन की सुविधा भी उपलब्ध है।
- एपीवाई में स्वैच्छिक निकास की अनुमति है।

अधिक विवरणों के लिए निकटतम शाखा या बैंक मित्र से संपर्क करें.

अधिक विवरणों के लिए, कॉल करें **1800 110 069** (टोल फ्री) या विज़िट करें **www.pfrda.org.in**

www.bankofindia.co.in

अटल
पेंशन
योजना



Department of Financial Services
Ministry of Finance
Government of India



बैंक ऑफ़ इंडिया

रिशतों की जमापूँजी

चलती रहे ज़िन्दगी ...

अटल पेंशन योजना के साथ ट्रिपल गारंटीकृत लाभ

01

आजीवन गारंटीकृत
न्यूनतम
मासिक पेंशन
(₹ 1000 से
₹ 5000 तक)

02

सब्सक्राइबर की
मृत्यु के बाद
पत्नी या पति को
आजीवन पेंशन की
उतनी ही राशि

03

सब्सक्राइबर और
पति या पत्नी की मृत्यु के
बाद नॉमिनी को मिलेगा
₹ 1.70 लाख से
₹ 8.50 लाख

उद्देश्य:

एपीवाई असंगठित क्षेत्र के कामगारों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। इस स्कीम में 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सब्सक्राइबर द्वारा किए गए अंशदान के अनुसार ₹ 1,000/2,000/3,000/4,000/5,000 प्रति माह का गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन मिलता है।

अटल पेंशन योजना के ब्यौरे

- कार्यान्वयन एजेंसी – पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)
- अंशदान का तरीका: सब्सक्राइबर के बचत बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से मासिक/तिमाही/छमाही अंतराल।
- केंद्र सरकार की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन राशि ₹ 1000 से ₹ 5000 प्रति माह।
- पात्र ग्राहक – 18 वर्ष से 40 वर्ष के आयु समूह के सभी खाताधारक।
- ट्रिपल लाभ के साथ पेंशन
 - ₹ 60 वर्ष के बाद पेंशन शुरू होगा तथा आजीवन प्राप्त होगा।
 - सब्सक्राइबर की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, पति या पत्नी को पेंशन मिलेगी।
 - सब्सक्राइबर और पति या पत्नी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में-नॉमिनी को मूल राशि मिलेगी।
- पेंशन के अपग्रेडेशन/डाउन ग्रेडेशन और भुगतान के तरीके में परिवर्तन की सुविधा भी उपलब्ध है।
- एपीवाई में स्वैच्छिक निकास की अनुमति है।

अटल
पेंशन
योजना

अधिक विवरणों के लिए निकटतम शाखा या बैंक मित्र से संपर्क करें.

अधिक विवरणों के लिए, कॉल करें **1800 110 069** (टोल फ्री) या विजिट करें **www.pfrda.org.in**

www.bankofindia.co.in